न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री दिनेश चन्द जैन आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 20/2018 ::

अपीलांट :—

1. ढलाराम पुत्र भोमाराम
2. चुन्नीलाल पुत्र भोमाराम जातिगण कीर निवासीगण कीरो की ढाणी, मानपुरा, तहसील पाली जिला पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेन्ट :—

मृतक बालू पुत्र भोलाजी जाति कीर निवासी कीरो की ढाणी, मानपुरा तहसील पाली जिला पाल के उत्तराधिकारीगण

1. तुलसाराम पुत्र बालूजी जाति कीर, निवासी कीरो की ढाणी, मानपुरा तहसील पाली जिला पाली राजस्थान
2. मृतक भीमाराम पुत्र बालूजी जाति कीर के उत्तराधिकारीगण
   2/1 मनोहर पुत्र भीमारामजी
   2/2 चेतन पुत्र भीमाराम
   2/3 आशा पुत्री भीमाराम, जातिगण कीर निवासीगण कीरो की ढाणी, मानपुरा तहसील पाली जिला पाली राजस्थान
3. मृतक कानाराम पुत्र बालूजी जाति कीर के उत्तराधिकारी
   3/1 भरत पुत्र कानाराम जाति कीर निवासी कीरो की ढाणी, मानपुरा तहसील पाली जिला पाली राजस्थान
4. सजिया पत्नी अणदाजी पुत्री बालूजी जाति कीर निवासी कीरो की ढाणी, मानपुरा, तहसील पाली जिला पाली हाल निवासी पिचियाक, तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर राजस्थान
5. मंगलादेवी पत्नी बाबूलाल पुत्री बालूजी जाति कीर निवासी कीरो की ढाणी, मानपुरा, तहसील पाली जिला पाली हाल निवासी मावल, तहसील आबूरोड, जिला सिरोही राजस्थान
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पाली तहसील पाली जिला पाली राजस्थान

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :— अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री मदनदास वैष्णव
रेस्पोडेण्ट संख्या 1, 2/1, 2/2, 4 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री विरमाराम मीणा

जिला कलेक्टर, पाली

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 11-10-19

अपीलांट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध आदेश दिनांक 30.07.2008 तहसीलदार पाली द्वारा उनके प्रकरण संख्या 16/2007 बअनवान दाखूदेवी वगैरा बनाम तुलसाराम वगैरा में पारित किया गया, उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई है। अपील अपीलाण्ट सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिए सम्मन तथा अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने वक्त बहस कथन किया कि खसरा नम्बर 174 रकबा 112 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल मौजा रामासिया के खातेदार बालू पुत्र भोलाजी जाति कीर निवासी कीरो की ढाणी, मानपुरा तहसील पाली जिला पाली की मृत्यु सन् 1991 में होने के बाद उसके 1/8 हिस्से की भूमि का विरासती नामान्तरकरण संख्या 269 दिनांक 20.05.1992 भरा गया। उक्त नामान्तरकरण बालू के उत्तराधिकारीगण जायन्दा पुत्रों तुलसाराम, भीमाराम व कानाराम प्रत्येक का हिस्सा 1/24 – 1/24 के खातेदार जमाबन्दी में इन्द्राज किए गए। कानाराम पुत्र बालूजी ने अपने हिस्से की भूमि को बएवज प्रतिफल 50,000/– रूपये प्राप्त कर 19.01.2000 को अपीलाण्टगण ढलाराम पुत्र भोमाराम, चुन्नीलाल पुत्र भोमाराम जातिगण कीर निवासी कीरों की ढाणी, मानपुरा को बेचाण कर दी एवं अपीलण्ट (खरीददार) द्वारा कब्जा प्राप्त कर लिया गया। जो आदिनांक यथावत चला आ रहा है। उक्त बेचाण दस्तावेज बाबत नामान्तरकरण संख्या 355 दिनांक 21.12.2000 स्वीकृत हुआ तथा उसी अनुरूप जमाबन्दी संवत 2057–2060 में इन्द्राज किया गया। लेकिन जमाबन्दी को अनदेखा करते हुए, बिना रेकार्ड काबिज अपीलाण्ट को प्रभावी पक्षकार बनाये बिना फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 269 दिनांक 20.05.1992 के विरूद्ध बालू की पुत्रियॉ दाखूदेवी वगैरा द्वारा उकत आराजी के बेचाण किए जाने के पश्चात 2006 में पेश की गई अपील संख्या 39/2006, जिसमें निर्णय दिनांक 05.04.2007 के द्वारा नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर मृतक बालूराम के सभी विधिक वारिसानों की आवश्यक जांच कर बाद जांच व सुनवाई के विधिक उत्तराधिकारियों के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करने की कार्यवाही करने हेतु आदेश प्रदान किए गए। कानाराम के हिस्से की भूमि को खरीददारान का रेकार्ड में इन्द्राज जरिए नामान्तरकरण संख्या 355 दिनांक 05.12.2000 के हो चूका था, उनको बिना सुने ही नामान्तरकरण संख्या 471 पारित किया, जिस पर तहसीलदार पाली की रिपोर्ट अंकित है कि भूमि का बेचाण होकर अन्य खरीददार प्रभावित हो रहे है। प्रकरण में वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने एवं खरीददारों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर

जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय किया जा सके। इन सभी तथ्यों के संज्ञान में होने के बावजूद भी बालू के उत्तराधिकारियों के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया तथा बेचाणकर्ता कानाराम के नाम का पुनः इन्द्राज जरिए नामान्तरकरण संख्या 512 के कर दिया गया जो विधी सम्मत नहीं होने से खारिज किया जावे तथा कानाराम के हिस्से की भूमि के क्रेता को सुनवाई का अवसर दिया जाकर उनके कानूनी हितों की रक्षा करते हुए विधी सम्मत आदेश पारित करावें, साथ ही अपीलाण्ट के हक–हकूकों का प्रश्न होने से अपील अन्दर म्याद शुमार फरमाई जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा अपीलाण्ट के तर्को पर सहमति व्यक्त करते हुए भूमि के क्रेतागणों अपीलाण्ट को भी सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे तो उनको किसी प्रकार की आपत्ती नहीं होना जाहिर किया गया।

विद्धान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील में अपीलाण्ट के हक–हकूकों का प्रश्न होने से अपील अन्दर म्याद मानी जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जाना न्यायोचित होने से अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। पूर्व में इसी न्यायालय में अपील संख्या 39/2006 में पारित निर्णय दिनांक 05.04.2007 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के नामान्तरकरण संख्या 269 को निरस्त कर तहसीलदार पाली को मृतक बालू के विधिक वारिसान की बाद जांच एवं सुनवाई के पुनः नए सिरे से नामान्तरकरण स्वीकृति की कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया था। तहसीलदार पाली द्वारा सुनवाई पत्रावली 16/2007 दाकु बनाम तुलसाराम वगैरा में निर्णय दिनांक 30.07.2008 के द्वारा पटवार हल्का को स्व. बालू पुत्र भोला जाति कीर के विधिक वारिसान के नाम नामान्तरकरण खोलने हेतु आदेश दिए गए तथा पटवार हल्का द्वारा नामान्तरकरण स्व. बालू के वारिसान के नाम इन्द्राज करते हुए नामान्तरकरण संख्या 512 दिनांक 02.02.2010 को स्वीकृत किया गया है, जबकि नामान्तरकरण संख्या 471 की प्रमाणित प्रति से स्पष्ट है कि दिनांक 13.10.2008 को तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण पर अंकित किया गया कि नामान्तरकरण " निर्णय न्यायालय जिला कलेक्टर अनुसार स्वीकृत किया जाता है, किन्तु भूमि का बेचाण होकर अन्य खरीददार प्रभावित हो रहे है। अतः प्रकरण पर वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करें। ताकि खरीददारों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय किया जा सके" लेकिन पश्चातवृती नामान्तरकरण खरीददारों को बिना सुने ही उनके नाम हटाते हुए पुनः तुलसाराम के पुत्र कानाराम का इन्द्राज कर दिया, जिससे अपीलाण्टगण जो कानाराम के हिस्से के क्रेता है, उनके हक–हकूक प्रभावित हुए है, जो न्यायोचित नहीं है तथा इस प्रकार पारित नामान्तरकरणों को विधी

जिला कलेक्टर, पाली

सम्मत नहीं माना जा सकता है। नामान्तरकरण संख्या 471 बाबत तथ्य पत्रावली पर नहीं लिए गए है तथा न ही कानाराम पुत्र बालू के बयान ही लिए गए है, न ही वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी आदि की जांच की गई, जबकि कानाराम के हिस्से के बेचाण का संज्ञान मातहत अदालत के ध्यान में होने के बावजूद भी रेकार्ड पर नहीं लिया जाकर, जो निर्णय दिनांक 30.07.2018 को पारित किया गया। वह त्रुटिपूर्ण ऐसे आदेश को विधि सम्मत नहीं माना जा सकता।

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर मातहत अदालत द्वारा राजस्व विविध मुकदमा नम्बर 16/2007 बअनवान दाखुदेवी वगैरा बनाम तुलसाराम वगैरा में पारित आदेश दिनाक 30.07.2008 निरस्त किया जाता है तथा स्व. बालू के वारिसान एवं प्रभावित होने वाले खातेदार काश्तकार केतागण व अपीलाण्ट खातेदार ढलाराम पुत्र भोमाराम व चुन्नीलाल पुत्र भोमाराम जातिगण कीर निवासी कीरो की ढाणी, मानपुरा को भी सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, पुनः निर्णय पारित किया जावें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 11-10-19 को लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)